राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :– एफ.2(ग)एसीपी / 1992R – III / 2240 दिनांक :– 30-01-23

आदेश संख्या:– 116 / 2022–23

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1)एफ.डी. / रूल्स / 2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 एवं स्पष्टीकरण क्रमांक प.14(88)वित्त(नियम)2008 दिनांक 12.01.2018 के अनुसरण में निम्नांकित कार्मिकों को कनिष्ठ लेखाकार के पद पर 27 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर उनके कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से प्राप्त संतोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण पत्र एवं संतान घोषणा पत्र के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 6 में उल्लेखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद की तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) पे मैट्रिक्स के लेवल L-13 में स्वीकृत की जाती हैं।

क. सं.	नाम (सर्वश्री)	मेरिट / बैच नं.	लिंक नम्बर	कनिष्ठ लेखाकार / समान लेवल के अन्य पद पर प्रथम कार्यग्रहण तिथि	तृतीय एसीपी देय तिथि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	राम फूल मीना	31/92SP	5010	11.10.1995	11.10.2022	
2.	नवलकिशोर	11/92 SP	3239	23.01.1995	09.12.2022	वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 09.12.2022 के अनुसरण में स्वीकृत
3.	आदेश कुमार वशिष्ठ	DGS	1208	07.07.1995	07.07.2022	

उपरोक्त कार्मिकों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त अधिसूचना दिनांक 30.10.2017 के नियम 14(2) एवं अधिसूचना दिनांक 09.12.2017 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि इन्हें–

1. पुनरीक्षित वेतनमान 2017 के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है।
2. पूर्व में तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृत नहीं की गई है।
3. कॉलम संख्या 6 में उल्लेखित आश्वासित कैरियर प्रगति देय तिथि से गत 7 वर्ष पूर्व तक कोई दण्ड नहीं दिया गया है।
4. इनके विरूद्ध फौजदारी / विभागीय जांच लंबित अथवा प्रस्तावित नहीं है।
5. गत 7 वर्षों से नियमित वेतन वृद्धियां मिल रही है।

इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित कार्मिकों की सेवापुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावे।

(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

Acp order